

FIRST INFORMATION REPORT  
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)  
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024  
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0278 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 29/11/2024 18:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
5	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
6	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
7	भा दं सं 1860	409
8	भा दं सं 1860	477-A
9	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/04/2017 Date To (दिनांक तक): 15/11/2019  
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:00 बजे Time To (समय तक): 12:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/11/2024 Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 29/11/2024 18:53:31 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 65 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): PANCHYAT SAMIATI SHRIKARANPUR, GRAM PANCHAYAT 61F, DISTRICT SHREGANGANAGAR
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name(नाम): SAURABH SWAMI
- (b) Father's Name (पिता का नाम): ASHOK SWAMI
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 01/12/1989 (d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
- (e) UID No(यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
- Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C 101, BAPUNAGAR, JAIPUR, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	C 101, BAPUNAGAR, JAIPUR, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):



7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANTOSH DEVI		पत्नी: BALDEV SINGH	1. GOAN 61 F, KARANPUR, GANGA

				INDIA
2	INDRAJEET SINGH		पिता:PRITAM SINGH	1. GOAN 42 H,SHRIKARANPUR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)  
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		36,56,147.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 36,56,147.00  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)  
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय, निवेदन है कि श्री सौरभ स्वामी (आई.ए.एस.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर की जिला परिषद स्तर पर क्रमांक 1634-38 दिनांक 08.08.19 से कमेटी का गठन कर जांच करवाई गई जिसमें श्री अरविन्द सारण सहायक अभियन्ता, मनोज कुमार मोदी लेखाधिकारी एवं दलीप सिंह सहायक साख्यिकी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें कमेटी द्वारा मार्च 2019 से जुलाई 2019 तक की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत 61 एफ के 18 निर्माण कार्यों के लेखा संबंधी रिकार्ड की जांच की गयी है। जिस पर निर्माण कार्यों में कमेटी द्वारा वित्तीय अनियमितता के लिए उक्त अवधि के दौरान पदस्थापित रहे कर्मचारियों एवं सरपंच को उत्तरदायी एवं प्रथम दृष्टया दोषी माना। जिस पर श्री सौरभ स्वामी आईएएस मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गंगानगर द्वारा उक्त तथ्यों की रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को पत्रांक 2284 दिनांक 01.10.19 द्वारा प्रेषित की गई कि, ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर की जिला परिषद स्तर पर क्रमांक 1634-38 दिनांक 08.08.19 से कमेटी का गठन कर जांच करवाई गई जांच कमेटी के सदस्य श्री अरविन्द सारण सहायक अभियन्ता, मनोज कुमार मोदी लेखाधिकारी एवं दलीप सिंह सहायक साख्यिकी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो निम्न प्रकार है बिन्दु संख्या:-01 निर्माण कार्यों की जांच करने पर कार्यों में अनियमितता/अपव्यय/गबन क्र.सं. 1 एचडीपीई पाईप लाईन सतनाम चन्द के घर से लेकर चाननराम के घर की ओर- स्वीकृत राशि - श्रम- 6000, सामग्री 34000, योग -40000, व्यय राशि - श्रम- 7180, सामग्री-31945, योग- 39125, वसूली राशि- श्रम- 1180, सामग्री-0, योग-1180, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 2 पेयजल डिग्गी निर्माण 60 एफ - स्वीकृत राशि - श्रम- 40387, सामग्री -158947,योग -199334, व्यय राशि - श्रम- 0, सामग्री-94122, योग-94122, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री-0, योग-0, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 3 सीसी रोड़ मय नाली निर्माण बृजलाल के घर से शंकरलाल के घर की तरफ- स्वीकृत राशि - श्रम- 50000, सामग्री -349000, योग -399000, व्यय राशि - श्रम- 74400, सामग्री-295475, योग-369875, वसूली राशि- श्रम- 24400, सामग्री- 0, योग-24400, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 4 सीसी रोड़ मय नाली निर्माण चरणदास के घर से स्यादाराम सरपंच के घर की तरफ - स्वीकृत राशि - श्रम- 394000, योग -450000, व्यय राशि - श्रम- 83478, सामग्री-328812, योग-412290, वसूली राशि- श्रम- 27478, सामग्री- 0, योग- 27478, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 5 राउप्रावि में बालिका शौचालय निर्माण - स्वीकृत राशि - श्रम- 11000, सामग्री -168000 योग -179000, व्यय राशि - श्रम- 43283, सामग्री-133289, योग- 176572, वसूली राशि- श्रम- 32283, सामग्री- 1000, योग-33283, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 6 सीसी रोड़ मय नाली निर्माण जगतार सिंह के घर से दुलीचंद के घर तक की

तरफ- स्वीकृत राशि - श्रम- 69000, सामग्री - 481000, योग -550000, व्यय राशि - श्रम- 102868, सामग्री- 410266, योग-513134, वसूली राशि- श्रम- 33868, सामग्री- 0, योग- 33868, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 7 सीसी रोड पक्की सड़क से चैक की ओर 63 एफए- स्वीकृत राशि - श्रम- 31000, सामग्री -219000, योग-250000, व्यय राशि - श्रम- 0, सामग्री-183566, योग-183566, वसूली राशि- श्रम0, सामग्री- 0, योग-0, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 8 सीसी रोड निर्माण मय नाली पक्की सड़क से काशीराम के घर की ओर 4 एफसी - स्वीकृत राशि - श्रम- 43000, सामग्री -307000, योग -350000, व्यय राशि - श्रम- 0, सामग्री-269905, योग-269905, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री- 0, योग-0, विशेष विवरण- जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 9 एचडीपीई पाईपलाईन सुखदेव सिंह के घर से अस्पताल - स्वीकृत राशि - श्रम- 16000, सामग्री -87000, योग -103000, व्यय राशि - श्रम- 20479, सामग्री-75976, योग-96455, वसूली राशि- श्रम- 4479, सामग्री- 0, योग-4479, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 10 इन्टरलॉकिंग मय नाली निर्माण अजमेर सिंह के घर से पक्की सड़क की ओर - स्वीकृत राशि - श्रम-14000, सामग्री - 136000, योग -150000, व्यय राशि - श्रम- 0, सामग्री-107405, योग-107405, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री- 0, योग-0, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 11 सीमेण्ट पाईप लाईन डिग्गी से चैकी की ओर 60 एफ - स्वीकृत राशि - श्रम- 15500, सामग्री -163200, योग -178700, व्यय राशि - श्रम- 0, सामग्री-147423, योग-147423, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री- 0, योग- 0, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 12 एचडीपीई पेयजल पाईप लाईन 60 एफ से 63 एफ - स्वीकृत राशि - श्रम- 89000, सामग्री -707000, योग -796000, व्यय राशि - श्रम- 88842, सामग्री-705936, योग-794778, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री- 0, योग- 0, विशेष विवरण- जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 13 राउमावि 61 एफ में बॉलीबॉल मैदान निर्माण - स्वीकृत राशि - श्रम- 0, सामग्री -0, योग -0, व्यय राशि - श्रम- 14935, सामग्री-120469, योग-135404, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री- 7970, योग- 7970, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 14 सामुदायिक भवन विस्तार 60 एफ - स्वीकृत राशि - श्रम- 69000, सामग्री -729000, योग -798000, व्यय राशि - श्रम- 158634, सामग्री- 589698, योग- 748332, वसूली राशि- श्रम- 89634, सामग्री- 26910, योग-116544, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 15 सामुदायिक विकास केन्द्र- स्वीकृत राशि - श्रम- 62000, सामग्री -726000, योग -788000, व्यय राशि - श्रम- 123850, सामग्री-439190, योग- 563040, वसूली राशि- श्रम- 61850, सामग्री- 24840, योग-86690, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 16 शौचालय निर्माण राउमावि 61 एफ - स्वीकृत राशि - श्रम-11000, सामग्री -169000, योग -180000, व्यय राशि - श्रम- 41011, सामग्री-115809, योग- 156820, वसूली राशि- श्रम- 30011, सामग्री- 0, योग- 30011, विशेष विवरण- जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 17 सीसी रोड मय नाली निर्माण सुलतानराम के घर से गुरुद्वारा की ओर 4 एफसी - स्वीकृत राशि - श्रम- 37000, सामग्री -263000, योग -300000, व्यय राशि - श्रम- 0, सामग्री- 230782, योग- 230782, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री- 0, योग- 0, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं 18 सीसी रोड मय नाली निर्माण बाबा भूमनशाह मन्दिर से दीवान चन्द के घर की ओर व चैक डिग्गी से शलेन्द्र के घर की ओर - स्वीकृत राशि - श्रम- 60000, सामग्री -390000, योग - 450000, व्यय राशि - श्रम- 24150, सामग्री-150654, योग- 174804, वसूली राशि- श्रम- 0, सामग्री- 0, योग-0, विशेष विवरण-जांच से पूर्व एमबी आंकलन नहीं कुल योग - स्वीकृत राशि - श्रम- 679887, सामग्री -5481147, योग - 6161034, व्यय राशि - श्रम- 783110, सामग्री-4430722, योग- 5213832, वसूली राशि- श्रम- 305183, सामग्री- 60720, योग-365903 क्रम संख्या 01 से 18 पर अंकित निर्माण कार्य वित्तिय वर्ष 2017-19, 2018-19 एवं 2019-20 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों के दौरान तीन ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार, राजेन्द्र सिंह एवं इन्द्रजीत सिंह ग्राम पंचायत में पदस्थापित थे। इन ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए सामग्री पेटे बिल वाउचर एवं श्रम पेटे मस्ट्रोल भरकर राजकोष से राशि आहरित की गई है। वर्तमान जांच में कार्यों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। जांच के दौरान उक्त 18 कार्यों के लिए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, एमबी अंकन, मुल्यांकन आदि नहीं होना पाया गया। इस संबंध में रिकार्ड कार्य पत्रावली में संलग्न भी नहीं था। भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने के कारण उक्त कार्यों में कौन कौन से कार्य सम्पादित करवाये गये हैं एवं कौन कौन से कार्य सम्पादित नहीं करवाये गये इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ग्राम पंचायत से प्राप्त कार्य पत्रावली में रिकार्ड के अनुसार जीकेएन नियमों के तहत, लापरवाही/अनियमितता आदि के चलते उक्तानुसार सारणी संख्या 1 में अंकित कार्यों पेटे श्रम/सामग्री साईड में वसूली/गबन राशि जारी कर संबंधित व्यक्तियों को मय ब्याज सहित उत्तरदायी ठहराया गया है। ग्राम विकास अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए हो सकता है कि उक्त सारणी में कई कार्य सम्पादित ही नहीं करवाये गये हैं। कार्य पत्रावली के रिकार्ड एवं राजकोष से श्रम, सामग्री पेटे भुगतान प्राप्त करने के मध्यनजर कार्यों में धालमेल हो सकता है। उपरोक्त सारणी में अंकित राशि 365903/- रूपये हेतु श्रीमति संतोष देवी, सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ एवं श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

। बिन्दु संख्या:-02 जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत 61 एफ में कैशबुक की स्थिति अनुसार प्रशासनिक व्यय/निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल/सामग्री, बिल वाउचर के अनुसार दिनांक 11.03.2019 से 27.05.2019 तक की अवधि में निम्नांकित अनुसार राशि 205059 रुपये का अनियमित भुगतान/अपव्यय/गबन किया है। 1. बिल का विवरण -लिम्बा फोटो स्टेट करणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक- 36/11.03.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि- 6766, चैक/नकद- नकद, वसूली राशि- 6766, वि.वि. - ग्राम पंचायत के रिकार्ड में बिल उपलब्ध नहीं हुआ। राशि गबन के रूप में वसूली योग्य है। 2. बिल का विवरण - सुरेन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी करणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक-37/14.03.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि-16000, चैक/नकद- चैक द्वारा चैक सं. 982642, वसूली राशि-16000, वि.वि. -रिकार्ड एवं बिल संलग्न है परन्तु बिल के अनुसार खरीद सामग्री की स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है तथा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं। सामग्री क्रय का उद्देश्य निहित नहीं है इसलिए समस्त राशि वसूली योग्य है। 3. बिल का विवरण - प्रशान्त ज्योति को विज्ञापन हेतु, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक- 39/25.03.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि-2100, चैक/नकद-चैक द्वारा चैक सं. 671838, वसूली राशि- 2100, वि.वि. - ग्राम पंचायत के रिकार्ड में बिल उपलब्ध नहीं हुआ। राशि गबन के रूप में वसूली योग्य है। 4. बिल का विवरण - लेजर इन्पेक्ट सोल्युशन श्रीगंगानगर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक- 2/04.04.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि- 33000, चैक/नकद- चैक द्वारा चैक सं. 982653, वसूली राशि-33000, वि.वि. - सामग्री किस उद्देश्य से खरीदी गई है। ग्राम पंचायत रिकार्ड में बिल की फोटो प्रति उपलब्ध है सक्षम स्तर से स्वीकृति भी नहीं ली गई एवं क्रय भी नियमानुसार नहीं है। इसलिए राशि वसूली योग्य है। वाउचर संख्या 04/04.04.19 5. बिल का विवरण - राजेन्द्र कुमार/रमेश कुमार श्रीकरणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक- 02/04.04.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि-25722, चैक/नकद- चैक द्वारा चैक सं. 982654, वसूली राशि-25722, वि.वि. - इस राशि का भुगतान चार बिलों के मार्फत ग्राम सभा में मिठाई आदि के लिए भुगतान किया गया है। भुगतान नियमानुसार नहीं है। इसलिए अनियमित भुगतान के चलते वसूली योग्य है। वाउचर नम्बर 05/04.04.19 बिल संख्या 122/15.08.18, 148/21.01.19, 151/24.02.19, 146/27.12.18 नोट:- बिल नम्बर और दिनांक से संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। 6. बिल का विवरण - लिम्बा फोटो स्टेट करणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक-02/04.04.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि- 8463, चैक/नकद-चैक द्वारा चैक सं. 982655, वसूली राशि- 8463, वि.वि. - बिल संलग्न है, लेकिन किस उद्देश्य के लिए फोटो स्टेट करवाई गई। अनियमित व्यय के चलते राशि वसूली योग्य है। 7. बिल का विवरण - गुरु नानक टेन्ट हाऊस श्रीकरणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक-02/04.04.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि- 47900, चैक/नकद- चैक द्वारा चैक सं. 982656, वसूली राशि- 47900, वि.वि. -कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा 4 बिलों पेटे 4 ग्राम सभाओं के लिए व्यय दर्शाया गया है जिसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति जारी नहीं की गई। किया गया व्यय नियमानुसार नहीं है। इसलिए अनियमितता के चलते राशि वसूली योग्य है। वाउचर संख्या 07/04.04.19, बिल संख्या 788/24.01.19, 786/15.08.18, 787/27.12.18, 790/23.02.19 नोट:- बिल नम्बर और दिनांक से संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। 8. बिल का विवरण - छाबड़ा पेन्टर श्रीकरणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक-10-11/26.04.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि-20000, चैक/नकद-चैक द्वारा चैक सं. 671840-41, वसूली राशि- 13856, वि.वि.- बिल में अंकित बोर्ड की साईज 8 गुणा 8 दर्शाई हुई है, जिसकी बाजार दर 12 रुपये प्रति फीट निर्धारित है, जबकि सामान्य बैनर/बोर्ड ही क्रय करना था। सामान्य के बाजार दर 12 रू प्रति फीट है इसलिए 64गुणा 12 कुल 768 है। इसलिए कुल 8 बोर्ड तैयार करवाये गये हैं, इसलिए 8 बोर्ड पेटे कुल राशि 768गुणा 8 कुल 6144 रुपये होगी, इसलिए गबन रूप में वसूली राशि 20000-6144 13856 होगी। 9. बिल का विवरण - डूंगरराम/गोरधन, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक-07/28.05.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि-5521, चैक/नकद- नकद, वसूली राशि- 5521, वि. वि.- इस वाउचर के मार्फत जोहड़ से गंदा पानी निकासी हेतु संबंधित को भुगतान किया दर्शाया गया है जबकि वाउचर में संबंधित व्यक्ति का पता अंकित नहीं है। इस संबंध में कार्य पत्रावली ग्राम पंचायत रिकार्ड में नहीं पायी गई। इस कार्य के लिए नियमानुसार स्वीकृति जारी की जानी चाहिए थी जिसके अभाव के चलते राशि वसूली योग्य है। वाउचर संख्या 24/28.05.2019 10. बिल का विवरण - पाल सिंह/हरी सिंह (मजबी) निवासी 24 ओ, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक-07/28.05.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि- 5520, चैक/नकद- नकद, वसूली राशि- 5520, वि.वि.- इस वाउचर के मार्फत जोहड़ से गंदा पानी निकासी हेतु संबंधित को भुगतान किया दर्शाया गया है। इस संबंध में कार्य पत्रावली ग्राम पंचायत रिकार्ड में नहीं पायी गई। इस कार्य के लिए नियमानुसार स्वीकृति जारी की जानी चाहिए थी जिसके अभाव के चलते राशि वसूली योग्य है। वाउचर संख्या 23/28.05.19 11. बिल का विवरण - लिम्बा फोटो स्टेट करणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक- 08/06.06.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि-12151, चैक/नकद- आन-लाईन भुगतान, वसूली राशि- 12151, वि.वि.- बिल संलग्न है लेकिन फोटो स्टेट पेटे अधिक राशि व्यय करने का संबंधित बिल में उद्देश्य निहित नहीं है। अनियमित व्यय के चलते राशि वसूली योग्य है। 12. बिल का विवरण -बाबा रामदेव ईट उद्योग श्रीकरणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक- 36/11.03.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि- 27580, चैक/नकद- नकद, वसूली राशि-670, वि.वि.- कैशबुक में व्यय राशि 27580/- है लेकिन बिल की राशि 26910/-है राशि 670 गबन के रूप में वसूली योग्य है। 13. बिल का विवरण -जयदुर्गा ईट उद्योग श्रीकरणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक- 03/30.04.19, कैशबुक के अनुसार व्यय राशि-

277981, चैक/नकद-चैक द्वारा चैक सं.982659, वसूली राशि-23940, वि.वि.-इस बिल के माध्यम से राशि 277981 के बदले विभिन्न निर्माण कार्यों की पत्रावलीयों में राशि 254041 के बिल संलग्न थे। शेष राशि 23940 के बिल नहीं पाए गये इसलिए राशि 23940 गबन के रूप में वसूली योग्य है। वाउचर संख्या 12/30.04.19 14. बिल का विवरण -संधू एण्ड सन्स श्रीकरणपुर, कैशबुक पेज नम्बर/दिनांक-06/27.05.19 कैशबुक के अनुसार व्यय राशि- 73917, , चैक/नकद-चैक द्वारा चैक सं. 671846 , वसूली राशि-3450 , वि.वि.- इस बिल के माध्यम से राशि 73917 के बदले विभिन्न निर्माण कार्यों की पत्रावलीयों में राशि 70467 के बिल संलग्न थे। शेष राशि 3450 के बिल नहीं पाए गए। इसलिए राशि 3450 गबन के रूप में वसूली योग्य है। कुल योग 562621 205059 उपरोक्त सारणी में अंकित राशि 205059/- रूपये हेतु श्रीमति संतोष देवी, सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ एवं श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। बिन्दु संख्या 03- जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत 61 एफ में सरपंच को राजकोष से अग्रिम/अमानत राशि पेटे भुगतान किया गया है। जिसके बिल वाउचर संबंधित कार्य पत्रावली में नहीं पाये गये। 1. चैक संख्या 671837, वाउचर नम्बर दिनांक- 36/20.02.19, राशि-150000, भुगतान राशि - कार्य पेटे- 150000, परिवहन पेटे-0, योग- 150000, शेष राशि- 0, वसूली राशि- 0 2. चैक संख्या 671843, वाउचर नम्बर दिनांक-18/20.05.19, राशि-110148, भुगतान राशि - कार्य पेटे- 102868, परिवहन पेटे- 7280, योग-110148, शेष राशि-0, वसूली राशि -7280 3. चैक संख्या 671849, वाउचर नम्बर दिनांक-22/27.05.19, राशि-170000, भुगतान राशि - कार्य पेटे-157878, परिवहन पेटे-12122, योग-170000, शेष राशि-0, वसूली राशि -12122 4. चैक संख्या 982661, वाउचर नम्बर दिनांक- 14/30.04.19, राशि-120198, भुगतान राशि - कार्य पेटे-104498, परिवहन पेटे-15700, योग- 120198, शेष राशि-0, वसूली राशि -15700 ,कुल राशि- 550346, भुगतान राशि - कार्य पेटे- 515244, परिवहन पेटे-35102, योग-550346, शेष राशि-0, वसूली राशि- 35102 उक्त भुगतान आप द्वारा नगद किया गया है। उक्त भुगतान की गई राशि में 35102 रूपये श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमति संतोष देवी, सरपंच उत्तरदायी है। बिन्दु संख्या 04- जांच रिपोर्ट अनुसार सरपंच श्रीमति संतोष देवी द्वारा ग्राम पंचायत की कैशबुक के मुताबिक चैक संख्या 671837, वाउचर संख्या 36/20.02.19 के द्वारा राशि 150000/- राजकोष से नकदी के रूप में प्राप्त किया इस नकदी का उपयोग निर्माण कार्यों में सामग्री साईड के लिए कैशबुक के मुताबिक वाउचर नम्बर 67-69/11.03.2019 को किया गया। निर्माण कार्यों पेटे सामग्री साईड में नकद भुगतान वित्तीय/अनियमितता लापरवाही के अन्तर्गत है। अतः इस नकद भुगतान के बदले अधिशेष रकम पर ब्याज वसूली पेटे सरपंच श्री संतोष देवी 4500/- वसूली के लिए उत्तरदायी माना गया है। बिन्दु संख्या 01 से 04 के अनुसार वर्तमान में गठित जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत 61 एफ, पंचायत समिति श्रीकरणपुर के लिए उक्त जांच में प्राप्त रिकार्ड/दस्तावेजों, 18 कार्यों की प्राप्त पत्रावलीयां(कार्यों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है) केश बुक की स्थिती एवं प्रशासनिक, श्रम/सामग्री पेटे व्यय राशि के बिल वाउचरों की भली भांति जांच पड़ताल कर (सारणी संख्या 05 में प्राप्त रिकार्ड अनुसार) उक्त बिन्दुओं एवं उनमें शामिल सारणियों की सहायता से निष्कर्ष जारी किया गया है। निष्कर्ष के मुताबिक वसूली/गबन राशि उत्तरदायित्व का निर्धारण सारणी संख्या 05 में निम्नानुसार है। 1. मद - 18 निर्माण कार्यों पेटे, वसूली राशि- 365903, गबन योग्य राशि- 305183, उत्तरदायित्व व्यक्तियों का नाम पता- ग्रा.वि.अ. राजेन्द्र सिंह व सरपंच संतोष देवी 96186 गबन के रूप में , ग्रा. वि.अ. प्रवीण कुमार व सरपंच संतोष देवी 117592 गबन के रूप में ग्रा.वि.अ. इन्द्रजीत सिंह सरपंच संतोष देवी 152125 में से 91405 गबन के रूप में , वि.वि.-सारणी संख्या 01 के अनुसार 2. मद - प्रशासनिक व्यय पेटे, वसूली राशि-205059, गबन योग्य राशि-69926, उत्तरदायित्व व्यक्तियों का नाम पता-ग्रा.वि.अ. इन्द्रजीत सिंह व सरपंच संतोष देवी 205059 में से 69926 गबन के रूप में, वि.वि.- सारणी संख्या 02 के अनुसार 3. मद -अग्रिम/अमानत पेटे, वसूली राशि-35102, गबन योग्य राशि-35102, उत्तरदायित्व व्यक्तियों का नाम पता-ग्रा.वि.अ. इन्द्रजीत सिंह व सरपंच संतोष देवी राशि 35102/- गबन के रूप में , , वि.वि.- सारणी संख्या 03 के अनुसार 4. मद - अधिशेष रकम की ब्याज वसूली पेटे, वसूली राशि- 4500, गबन योग्य राशि-0, उत्तरदायित्व व्यक्तियों का नाम पता- सरपंच संतोष देवी राशि 4500 योग वसूली राशि- 610564, गबन योग्य राशि- 410211 जांच से श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी, श्री प्रवीण कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच श्रीमति संतोष देवी ग्राम पंचायत 61 एफ द्वारा सरकारी पैसे को जानबूझकर कूटरचित तरीके से गबन/अनियमित व्यय/अपव्यय किया जाना पाया गया। प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का निवेदन किया वगैरा वगैरा। जिस पर परिवाद सं0 345/2019 दिनांक 15.11.19 दर्ज कर सत्यापन किया गया तथा जिला परिषद श्रीगंगानगर से कमेटी गठित करवाई गई। जिसमें श्री परमपाल सहायक अभियन्ता तथा विजय कुमार सहायक लेखाधिकारी सदस्य थे। कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों एवं रिकार्ड की जांच एवं भौतिक सत्यापन कर अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की। निर्माण कार्यों में कमेटी द्वारा वित्तीय अनियमितता के लिए उक्त अवधि के दौरान पदस्थापित रहे कर्मचारियों एवं सरपंच को उत्तरदायी एवं प्रथम दृष्टया दोषी माना। इसी क्रम में शिकायत आर नं. 6406/2019 में अति. आयुक्त एवं शासन उप सचिव (प्रथम) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज. जयपुर के क्रमांक एफ13(439)परावि/प्रशा2/ग्रा.वि.अ./ पुर्वानुमोदन/श्रीगंगानगर/2022 तथा जिला परिषद श्रीगंगानगर के क्रमांक 4135 दिनांक 29.02.22 से आरोपीगण श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम विकास

अधिकारी, श्री प्रवीण कुमार ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध जाच/अनुसंधान करने के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 17ए के अन्तर्गत संबंधित विभाग से पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है। परिवार के सत्यापन पर आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्राथमिक जांच सं0 64/23 दिनांक 24.12.23 दर्ज की जाकर जांच की गई। जांच से बिन्दु संख्या 01 के क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्य ग्राम पंचायत 61 एफ द्वारा एचडीपीई पाईप लाईन सतनाम चन्द्र के घर से लेकर चाननराम के घर की ओर 60 एफ में 39125 रुपये, क्रम संख्या 2 पर अंकित कार्य पेयजल डिग्गी निर्माण 60 एफ में 94122 रुपये, क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्य सीसी रोड मय नाली निर्माण बृजलाल के घर से शंकरलाल के घर की तरफ 62 एफ में 369875 रुपये, क्रम संख्या 4 पर अंकित कार्य सीसी रोड मय नाली चरणदास के घर से स्यादा राम सरपंच के घर की तरफ 61 एफ में 412290 रुपये, क्रम संख्या 6 पर अंकित कार्य सीसी रोड मय नाली निर्माण जगतार सिंह के घर से दुलीचंद के घर की तरफ 61एफ में 509084 रुपये, क्रम संख्या 7 पर अंकित कार्य सीसी रोड पक्की सड़क से चैक की ओर 63 एफए छोटी में 183566 रुपये, क्रम संख्या 8 पर अंकित कार्य सीसी रोड निर्माण मय नाली पक्की सड़क से काशी राम के घर ओर 4 एफसी में 269905 रुपये, क्रम संख्या 9 पर अंकित कार्य एचडीपीई पाईप लाईन सुखदेव सिंह के घर से अस्पताल 61 एफ में 96455 रुपये, क्रम संख्या 10 पर अंकित कार्य इन्टरलोकिंग मय नाली निर्माण अजमेर सिंह के घर से पक्की सड़क की ओर 63 एफ बडी में 108125, क्रम संख्या 11 पर अंकित कार्य सीमेन्ट पाईप लाईन डिग्गी से चैक की ओर 60 एफ में 168075 रुपये, क्रम संख्या 12 पर अंकित कार्य एचडीपीई पेयजल पाईप लाईन 60 एफ से 63 एफ में 794778 रुपये, क्रम संख्या 17 पर अंकित कार्य सीसी रोड मय नाली निर्माण सुलतान राम के घर से गुरुदारा की ओर 4 एफसी में 230782 रुपये, क्रम संख्या 18 पर अंकित कार्य सीसी रोड मय नाली निर्माण बाबा भूमनशाह मन्दिर से दीवान चन्द के घर की ओर 61 एफ में 139804 रुपये कुल 34,15,986 रुपये अनुचित व्यय किया जाना पाया गया है। जांच से बिन्दु संख्या 02 में विभिन्न कार्यों पेटे किये गये भुगतान से संबंधित कुछ बिल रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है किन्तु भुगतान के संबंध में केशवुक में इन्द्राज है तथा अधिकतर भुगतान जरिऐ चैक किया गया है। नियमों का पालन एवं रिकार्ड का नियमानुसार संधारण नहीं कर 2,05,059 रुपये का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया है। जांच से बिन्दु संख्या 03 में 03 कार्यों (मिट्टी भर्ती) पेटे बिना बिल वाउचर के 35,102 रुपये का नगद भुगतान कर अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया है। जांच पर प्राप्त रिकार्ड से पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों की स्वीकृति में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव तैयार कर अनुमानित लागत के आधार पर या उपलब्ध राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति निकाली जाती हैं। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद माप के आधार पर बीएसआर रेट से गुणा कर तकनीकी स्वीकृति निकाली जाती हैं। उक्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिये जाने के उपरांत तकनीकी अधिकारीगण द्वारा कार्य का माप किया जाकर बीएसआर दरो से गुणा कर एमबी में कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तदोपरान्त संबंधित तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अन्तिम रूप से समायोजन की प्रक्रिया में समायोजन आदेश जारी किये जाते हैं। ग्रामीण कार्य निर्देशिका के नियमों के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं मूल्यांकन राशि में जो भी कम हो (श्रम एवं सामग्री साईड में अलग-अलग) वही राशि कार्य के समायोजन में मान्य की जाती है और इसी के अनुरूप समायोजन राशि एवं वसूली राशि की निर्धारण किया जाता है। सामान्य वसूली में वसूली मय ब्याज जमा करवाया जाने पर विभागीय कार्यवाही स्थगित की जा सकती है एवं गबन के रूप में वसूली राशि जमा करवाने के पश्चात भी दोषी व्यक्ति विभागीय कार्यवाही के साथ अपराधिक प्रकरण के लिए उत्तरदायी होता है। कार्यकारी संस्था (ग्राम पंचायत 61 एफ) द्वारा निर्माण कार्यों पेटे तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार कार्य संपादित नहीं करवाना, ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानों एवम दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यसंपादित नहीं करवाना, योजना के प्रावधानों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित नहीं करवाना, कार्य अपूर्ण व अधूरे करवाकर कार्य पेटे सामग्री के लिये फर्जी बिल वाउचर एव श्रम पेटे फर्जी मस्टररोल तैयार कर अनुचित भुगतान कर लोकसेवकों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग कर स्वयं लाभ प्राप्त किया। बिन्दु संख्या 01 के क्रम संख्या 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,17,18 पर अंकित निर्माण कार्य पेटे 34,15,986 रुपये, बिन्दु संख्या 02 पर अंकित विभिन्न कार्यों पेटे 2,05,059 रुपये तथा बिन्दु संख्या 03 पर अंकित कार्यों पेटे 35102 रुपये कुल 36,56,147 रुपये का अनियमित भुगतान कर राजकोष को हानि कारित की है। उक्त अवधि में श्री इन्द्रजीत सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती संतोष देवी सरपंच रही हैं। इनके द्वारा अपराधिक षडयंत्र कर ग्राम पंचायत 61 एफ में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक करवाये गये 18 निर्माण कार्यों में मिथ्या दस्तावेज तैयार कर बिना निर्माण एव आधा अधूरा निर्माण होने पर भी कुल रुपये 36,56,147/- का अनियमित भुगतान करते हुए स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए राजकोष को हानि पहुंचाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। जांच से बिन्दु संख्या 01 के क्रम संख्या 05 पर अंकित कार्य गल्स शौचालय निर्माण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चक 62 एफ का कार्य पूर्ण होने के पश्चात उक्त कार्य की सीसी एवं यूसी जारी होकर राशि का समायोजन जिला परिषद श्रीगंगानगर से हो चुका है। अतः इस कार्य में अनियमितता/अपव्यय के आरोप अप्रमाणित पाये गये। यह कार्य श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल में सम्पन्न करवाया गया, श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी फौत हो चुके हैं। बिन्दु संख्या 01 के क्रम संख्या 13 पर अंकित कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में

वालीवाल खेल मैदान निर्माण खेलकूद सामग्री उपलब्ध करवाना व मर्करी लाईट लगाना ईत्यादि, 14 पर अंकित कार्य सामुदायिक भवन विस्तार कार्य एवं चारदिवारी निर्माण 60 एफ, 15 पर अंकित कार्य सामुदायिक भवन विस्तार कार्य 61 एफ एवं 16 पर अंकित कार्य गल्स शौचालय निर्माण राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय 61 एफ कार्य पूर्ण होने के पश्चात सीसी एवं यूसी जारी होकर राशि का समायोजन जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा किया जा चुका है। अतः क्रम संख्या 5, 13, 14, 15 एवं 16 पर अंकित कार्यों में अनियमितता/अपव्यय के आरोप अप्रमाणित पाये गये। ये कार्य श्री प्रवीण कुमार ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल में करवाये गये थे। अतः कथित आरोपी श्री राजेन्द्रसिंह एवं श्री प्रवीणकुमार का अपराध में शामिल होना नहीं पाया गया। इस प्रकार श्रीमती संतोष देवी तत्कालीन सरपंच तथा श्री इन्द्रजीत सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने लोकसेवक होते हुए आपराधिक षडयंत्र कर अपने नियोजक राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत, निर्माण कार्या की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करते हुए आधे अधूरे कार्य करवाकर उपरोक्त वर्णित कार्यों पेटे सामग्री के लिए फर्जी बिल-बाउचर एवं श्रम पेटे फर्जी मस्ट्रोल तैयार कर जान बुझकर कपट करने के आशय से लेखा पुस्तिकाओं में मिथ्या प्रविष्टी करते हुए स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित भुगतान कर राज्य सरकार को हानि कारित करने का अपराध कारित किया है। अतः 1. श्रीमती संतोष देवी तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर 2. श्री इन्द्रजीत सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध जुर्म धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 7(सी), 13(1)(ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 409, 477ए एवं 120 बी भादंसं. के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। भवदीय ( वेद प्रकाश लखोटिया ) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेद प्रकाश लखोटिया, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 7(सी), 13(1)(ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 409, 477ए एवं 120 बी भादंसं. में आरोपीगण 1-श्रीमति संतोष देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह उम्र 56 साल नि0 गांव 61 एफ तह0 करणपुर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर एवं 2- श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह उम्र 47 साल नि0 गांव 42 एच तह0 श्रीकरणपुर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र सोनी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर- प्रथम को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 427 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1532-37 दिनांक 29-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2-आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- जिला स्थापना समिति, कार्यलय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय। 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जाँच 64/2023) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): BHUPENDER Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक  
(जाँच अधिकारी का नाम): KUMAR SONI (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to  
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)



(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh  
Choudhary  
Location: Rajasthan,IN  
Date: 28/11/2024 18:58:15



15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )  
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	09/09/1968				
2	Male	03/05/1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग )	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.  
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)